राजस्थान कर बोर्ड. अजमेर

1. अपील संख्या – 910/2011/भरतपुर. 2. अपील संख्या - 911/2011/भरतपुर.

मैसर्स शकुन्तला इण्डस्ट्रीज, रणजीत नगर, भरतपुर.अपीलार्थी. बनामप्रत्यर्थी.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, भरतपुर.

एकलपीठ श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से. श्री रामकरण सिंह, उप–राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25/04/2016

निर्णय

ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक 1. कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा क्रमशः अपील संख्या 77 / उपा-भरत / 06-07 / भरतपुर व अपील संख्या 61 / उपा-भरत / 06-07 / भरतपुर मे पारित आदेश दिनांक 06.11.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, भरतपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001–02 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9 संपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 37 के तहत पारित आदेश दिनांक 17.10.2005 में रुपये 11,023 / – के सैट आफ को अस्वीकृत करने एवं 6,173 / – का ब्याज आरोपण करने व कर निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिये केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 37 के तहत पारित आदेश दिनांक 17.10.2005 में रुपये 15,872 / – के सैट आफ को अस्वीकृत करते हुये ब्याज रुपये 8,888 / – का आरोपण करते हुये पारित किये गये आदेश के विरुद्ध प्रस्तूत अपील में आरोपण को यथावत रखते हुए अपीलों को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी व्यवहारी ने वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत अपीलों में उक्त दोनों आदेशों को विवादित किया है।

इन दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक 2. ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है। 4-739

लगातार......2

<u>-: 2 :- 1-2. अपील संख्या-910/2011 एवं 911/2011/भरतपुर.</u>

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी का कर निर्धारण वर्ष 2001–02 का अन्तिम कर निर्धारण आदेश दिनांक 09.01.2004 को पारित करते हुये सैट ऑफ राशि दोनों वर्षों में क्रमशः 11,023/– व 27,751/– को स्वीकृत किया गया, इसके पश्चात यह पाये जाने पर कि अधिसूचना क्रमांक F.4(30)FD/TAX-DIV/2002-186 दिनांक 22.03.2002, जिसके तहत सैट ऑफ अनुज्ञेय किया गया, की प्रभावशीलता दिनांक 22.03.2002 से थी। जिसके अनुसार 22.03.2002 के पश्चात की गयी तिलहन की खरीद पर ही सैट ऑफ अनुज्ञेय है। दिनांक 22.03.2002 से पूर्व खरीदे गये तिलहन पर सैट आफ अनुज्ञेय नहीं है। इस प्रावधान की पालना में पूर्व में पारित किये आदेश मे संशोधन करते हुये सैट ऑफ अस्वीकार करते हुये संशोधित आदेश पारित किये गये।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक, एवं पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। बहस मे अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा लेखा–पुस्तकों के परीक्षण के पश्चात सचेतन मस्तिष्क से आदेश पारित किया गया था तथा ऐसे आदेश को संशोधित नही किया जा सकता है। अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि इस दिनांक के पश्चात खरीदे गये माल पर ही सैट ऑफ अनुज्ञेय होगा। अपीलार्थी के पास दिनांक 22.03.2002 को उसके पास उपलब्ध तिलहन के स्टॉक से विनिर्मित खाद्य तेल के अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम मे किये गये विक्रय पर सैट ऑफ अनुज्ञेय होगा। इस अधिसूचना के द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम मे किये गये विक्रय पर देय कर से आंशिक मुक्ति प्रदान की गयी है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :–

- (i) मैसर्स भीलवाडा स्पीनर्स लिमिटेड, भीलवाडा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी विशेष वृत—भीलवाडा, 1 STO 340
- (ii) एसीटीओ बनाम मैसर्स मक्कड प्लास्टिक एजेंसी, 29 TAX UPDATE 253
- (iii) सहायक आयुक्त संकर्म संविदा एवं लिजिंग टैक्स, अलवर बनाम मैसर्स पी एन सी कन्स्ट्रक्शन, धौलपुर 42 TAX UPDATE 101
- (iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंच्वन, जोधपुर बनाम मैसर्स इण्डियन रेयन इडंस्ट्रीज जोधपुर 42 TAX UPDATE 157

बहस के अन्त में विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने व अपीलें स्वीकार करने की प्रार्थना की।

577201

लगातार.....3

<u>-: 3 :- 1-2. अपील संख्या-910/2011 एवं 911/2011/भरतपुर.</u>

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया व अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया व न्यायिक दृष्टांतों का ससमान अध्ययन किया गया। अभिलेख के परिशीलन पश्चात हस्तगत प्रकरणों में विवादित बिन्दु यह है कि उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 के अधीन प्रदत आंशिक कर मुक्ति के दावे के सम्बन्ध में दिनांक 22.03.2002 को उपलब्ध तिलहन के स्टॉक पर राज्य में खरीद के समय चुकाये गये कर का सैट ऑफ अनुज्ञेय होगा या नहीं ?

7. अधिसूचना क्रमांक F.4(30)FD/TAX-DIV/2002-186 दिनांक 22.03.2002 निम्न प्रकार है :--

S.O. 433.-In exercise of the powers conferred by S.8(5), CST Act, 1956, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby [notwithstanding anything contained in Sales Tax New Incentive Scheme for Industries, 1989, and Sales Tax New Deferment Scheme, 1989, issued under the CST Act, 1956] [S.Nos. 764 and 766, printed at pages 72-87 and 104-120 of Part III of the Book - 2000 Edition] allows a dealer, manufacturing edible oil in the State of Rajasthan, to claim *partial exemption* of tax paid in the State on **purchase of oilseeds** to the extent it exceed one per cent, from the tax payable on edible oil so manufactured and sold in the course of inter-State trade or commerce, in the manner and subject to the conditions as follows:-

(1) That such exemption shall be allowed only to the extent exceeding one per cent of tax paid under the RST Act, 1994, in relation to his purchases of oilseed from the registered dealers of the State and utilised by him as raw material in the manufacture of edible oil within the State;

(2) That such exemption shall be allowed only in respect of the edible oil so manufactured in the State, only to the extent such edible oil is sold in the course of inter-State trade or commerce;

(3) That the dealer shall prove the actual amount of tax paid under the RST Act, 1994, on the oilseed so used, to the satisfaction of the assessing authority; and in the absence of such proof such amount may be determined by reducing his purchase price by a percentage equal to ten plus the rate of tax notified under S.4, RST Act, 1994, in respect of such goods; and

(4) That no refund of the tax paid on oilseed shall be available under this notification.

h-JEOL

लगातार.....4

1—2. अपील संख्या—910 / 2011 एवं 911 / 2011 / भरतपुर.

8. केन्द्रीय विक्रय अधिनियम की धारा 8(5) निम्न प्रकार है :--

-: 4 :--

8. Rates of tax on sales in the course of inter-State trade or commerce.-

- (5) Notwithstanding anything contained in this section, the State Government may on the fulfillment of the requirements laid down in sub-section (4) by the dealer if it is satisfied that it is necessary so to do in the public interest, by notification in the Official Gazette, and subject to such conditions as may be specified therein, direct,
 - (a) that no tax under this Act shall be payable by any dealer having his place of business in the State in respect of the sales by him, in the course of inter-State trade or commerce, to a registered dealer or the Government from any such place of business of any such goods or classes of goods as may be specified in the notification, or that the tax on such sales shall be calculated at such lower rates than those specified in subsection (1) or sub-section (2) as may be mentioned in the notification;
 - (b) that in respect of all sales of goods or sales of such classes of goods as may be specified in the notification, which are made, in the course of inter-State trade or commerce, to a registered dealer or the Government by any dealer having his place of business in the State or by any class of such dealers as may be specified in the notification to any person or to such class of persons as may be specified in the notification, no tax under this Act shall be payable or the tax on such sales shall be calculated at such lower rates than those specified in sub-section (1) or sub-section (2) as may be mentioned in the notification.

 अधिनियम / नियम मे विहित प्रावधानों के निर्वचन के सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं :--

(i) (1999) 8 SCC 667 (SC) Maturam Agarwal Vs. State of Madhya Pradesh -

"The intention of the legislature in a taxation statute is to be gathered from the language of the provisions particularly wher the language is plain and unambiguous. In a taxing Act it is not possible to assume any intention. Or governing purpose of the statute more than what is stated in the plain language. It is not the economic results sought to be obtained by making the provision which is relevant in interpretation a fiscal statute. Equally impermissible is an interpretation which does not follow from the plain, unambiguous language of the statute. Words cannot be added to or substituted so as to give a meaning to the statute which will serve the spirit and intention of the legislature. The statute which will serve the spirit

Test

लगातार.....5

1-2. अपील संख्या-910/2011 एवं 911/2011/भरतपुर. -: 5 :--

and intention of the legislature. The statute should clearly and unambiguously convey the three components of the tax law i.e. the subject of the tax, the person who components of the tax law i.e. the subject of the tax, the person who is liable to pay the tax and the rate at which the tax is to be paid. If there is any ambiguity regarding any of these ingredients in a taxation statute then there is no tax in law. Then it is for the legislature to do the needful in the matter."

(ii) (2002) 4 SCC 297 Grasim Industries Ltd. Vs. Collector of Customs, Bombay -

10......The elementary principle of interpreting any word while considering a statute is to gather the mens or sentential legis of the legislature. Where the words are clear and there is no obscurity, and there is no ambigutity and the intention of the legislature is clearly conveyed, there is no scope for the court to take upon itself the task of amending or alternating (sic altering) the statutory provisions. Wherever the language is clear the intention of the legislature is to be gathered from the language used. While doing so, what has been said in the statute as also what has bot been said has substitution of words or which results in rejection of words has to be avoided."

(iii) (2011) 4 S.C.C. 266 B.Premanand and Others Vs. Mohan Koikal and Others -

"The literal rule of interpretation really means that there should be no interpretation. In other words, we should read the statute as it is, without distorting or twisting its language."

(iv) (2001) 4 S.C.C. 534 Gurudevdatta Vkss Maryadit & Ors. Vs. State of Maharashtra & Ors. -

"It is a cardinal principle of interpretation of statute that the words of a statute must be understood in their natural, ordinary or popular sense and construed according to their grammatical meaning, unless such construction leads to some absurdity or unless there is something in the context or in the object of the statute to suggest to the contrary. The golden rule is that the words of a statute must prima facie be given their ordinary meaning. It is yet another rule of construction that when the words of the statute are clear, plain and unambiguous, then the courts are bound to give effect to that meaning, irrespective of the consequences. It is said that the words themselves best declare the intention of the law giver. The courts have adhered to the principle that efforts should be made to give meaning to each and every word used by the legislature and it is not a sound principle of construction to brush aside words in a statute as being inapposite surpluses, if they can have a proper application in circumstances conceivable within the contemplation of the statute."

1 Tol

लगातार.....6

<u>-: 6 :- 1-2. अपील संख्या-910/2011 एवं 911/2011/भरतपुर.</u>

10. पैरा संख्या 9 में वर्णित निर्णयों मे प्रतिपादित सिद्धान्तों की पालना में दिनांक 22.03.2002 की उक्त अधिसूचना का निर्वचन करने पर यह प्रकट होता है कि अधिसूचना की शर्त संख्या 1 स्पष्ट रुप से प्रावधित करती है कि ऐसी करमुक्ति राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1994 के अधीन 1% की सीमा से अधिक राज्य के भीतर पंजीकृत व्यवहारियों से तिलहन के क्रय पर चुकाये गये कर एवं उसका कच्चे माल के रुप में राज्य के भीतर खाद्य तेल के विनिर्माण में प्रयोग किये जाने पर अनुज्ञेय होगा। अधिसूचना की शर्त संख्या 2 प्रावधित करती है कि ऐसी कर मुक्ति राज्य के भीतर विनिर्माण किया गया ऐसा खाद्य तेल अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में विक्रय किया जायेगा। अधिसूचना की शर्त संख्या 3 प्रावधित करती है कि राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1994 के अधीन तिलहन की खरीद पर वास्तव में चुकायी गयी कर राशि को कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि हेतु साबित करेगा।

11. दिनांक 22.03.2002 की उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में ऐसी कोई शर्त विहित नहीं की गयी है कि दिनांक 22.03.2002 से पूर्व तिलहन की खरीद पर चुकाये गये कर को आंशिक कर मुक्ति की गणना के लिये आंकलित नहीं किया जायेगा। अधिसूचना में उपलब्ध आंशिक कर मुक्ति दिनांक 22.03.2002 से प्रभावी होगी अर्थात दिनांक 22.03.2002 के पश्चात अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में किये गये खाद्य तेल के विक्रय पर बनने वाले कर दायित्व में आंशिक कर मुक्ति उपलब्ध होगी। हस्तगत प्रकरणों में यह निर्विवादित है कि विवादित माल पूर्ण दर से कर चुकाकर क्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में यह अंकित नहीं किया है कि माल पर नियत दर से कर नहीं चुकाया गया है। अतः अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 के अनुसरण में व्यवहारी सेट–ऑफ प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसे अस्वीकृत किये जाने में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने में त्रुटि की गयी है।

12. उपरोक्त तथ्यात्मक व विधिक विवेचना के पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी को दिनांक 22.03.2002 को उपलब्ध तिलहन के स्टॉक पर राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1994 के अधीन चुकाया गया कर उसके आंशिक कर मुक्ति की गणना करने के लिये दावा करने के लिये अनुज्ञेय होगा।

4 Feil

लगातार.....7

-: 7 :- 1-2. अपील संख्या-910/2011 एवं 911/2011/भरतपुर.

13. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त करते हुये दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

14. निर्णय सुनाया गया।

かった 04)2216 22 (मनोहर पुरी) सदस्य